

संपत्ति नीलामी नोटिस (सूचना)

बैंक की बकाया राशि वसूल करने के लिए निम्नलिखित संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी उनमें से प्रत्येक के विवरण के समुख दर्शाई दिनांक को की जाएगी संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:-
पूरी संपत्ति की एक साथ नीलामी को प्राथमिकता दी जाएगी जिसके लिए प्रारक्षित मूल्य रुपये 4,96,50,000/- (रुपये चार करोड़ छियानवे लाख पचास हजार) है इसके विरुद्ध अग्रिम जमा राशि रुपये 49,65,000/- (रुपये उनचास लाख पैंसठ हजार) है। पूरी संपत्ति की एक साथ नीलामी सफल न रहने पर प्रत्येक संपत्ति की अलग-अलग नीलामी निम्न प्रकार से की जायेगी।

क्र.	प्रकरण क्रमांक एवम् नाम	संपत्ति का विवरण	विक्रय की दिनांक एवं समय	संपत्ति विवरण	प्रारक्षित मूल्य (रु. लाख में)	अग्रिम जमा रु. में
1	O.A.Ex.111/02 डुडको विरुद्ध केन्द्रीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. मुख्य डाकघर के पास, देवास रोड, उज्जैन कार्यालय : केन्द्रीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. मुख्य डाकघर के पास देवास रोड़ देवास गेट उज्जैन।	स्थान : ग्राम हामूखेडी पटवारी हल्का नं. 41, तहसील एवं जिला उज्जैन सर्वे नं. 60/1 एवं 62 क्षेत्रफल : 30,200 वर्गमीटर। विवरण : उपरोक्त भूमि पर 10 एच.आई.जी. मकान है जहाँ आर.सी.सी. की छत्त नहीं पडी है। 9 एच.आई.जी. मकान है जहाँ आर.सी. की छत्त पडी है किंतु प्लास्टर नहीं है, 1 एच. आई.जी. मकान है जहाँ आर. सी. सी. की छत्त पडी है और प्लास्टर भी है एम.आई.जी. ए टाईप के 64 मकान हैं तथा एम.आई.जी. बी. टाईप के 49 मकान हैं कुल 133 मकान हैं, जो कि निर्गित ऋणी सहकारी संस्था के सदस्यों के अधिपत्य में है एक व्यवसायिक भूखण्ड रिक्त हैं और दूसरा आश्रयहीनों के लिए आरक्षित भूखण्ड भी रिक्त हैं। चतुर्सीमा:- भूमि सर्वे क्र. 60/1 = 1.327 हेक्टेयर। पूर्व :- भूमि सर्वे क्र. 62 पश्चिम :- हामूखेडी लोक निर्माण विभाग की सडक। उत्तर :- भूमि सर्वे क्र. 61 दक्षिण :-भूमि सर्वे क्र. 59/1 चर्तुर्सीमा :- भूमि सर्वे क्र. 62 = 1.693 हेक्टेयर। पूर्व :- भूमि सर्वे क्र. 68/2 पश्चिम :-भूमि सर्वे क्र. 60/1 उत्तर :- भूमि सर्वे क्र. 61 दक्षिण :-भूमि सर्वे क्र. 63/2 तथा 63/1	23/2/2010 प्रातः 10 बजे से क्र. 1 से 3 तक की संपत्तियाँ यदि पूरी संपत्ति दिनांक. 23/2/10 को नहीं बिकती। 24.02.2010 प्रातः 10 बजे से क्र. 4 से 7 तक की संपत्तियाँ	(1) 10 एच.आई.जी. टाईप जहाँ आर. सी.सी. की छत्त नहीं पडी है। संपत्ति क्र. 1 से 10 सभी का प्लिंथ क्षेत्रफल 55.42 वर्गमीटर, भूखंड क्षेत्रफल 175 वर्गमीटर औसत भूखंड क्षेत्रफल 192.50 वर्गमीटर। (2) 9 एच.आई.जी. टाईप जहाँ आर. सी.सी. की छत्त पडी है किंतु प्लास्टर नहीं है, संपत्ति क्र.11 से 15 तथा 17 से 20 सभी का प्लिंथ क्षेत्रफल 55.42 वर्गमीटर, भूखंड क्षेत्रफल 175 वर्गमीटर औसत भूखंड क्षेत्रफल 192.50 वर्गमीटर। (3) 1 एच.आई.जी. टाईप जहाँ आर. सी.सी. की छत्त पडी है और प्लास्टर भी है, संपत्ति क्र. 16 का प्लिंथ क्षेत्रफल 55.42 वर्गमीटर, भूखंड क्षेत्रफल 175 वर्गमीटर औसत भूखंड क्षेत्रफल 192.50 वर्गमीटर। (4) 64 एम.आई.जी. टाईप ए संपत्ति क्र. 25 से 30, 41 से 82 तथा 112 से 127 सभी का प्लिंथ क्षेत्रफल 34.71 वर्गमीटर, भूखंड क्षेत्रफल 84.50 वर्गमीटर औसत भूखंड क्षेत्रफल 92.50 वर्गमीटर। (5) 49 एम.आई.जी. टाईप बी संपत्ति क्र. 21 से 24, 31 से 40, 83 से 111 तथा 128 से 133 सभी का प्लिंथ क्षेत्रफल 46.10 वर्गमीटर, भूखंड क्षेत्रफल 112.50 वर्गमीटर औसत भूखंड क्षेत्रफल 122.04 वर्गमीटर। (6) व्यवसायिक भूखंड संपत्ति क्र. 134, भूखंड क्षेत्रफल 930 वर्गमीटर। (7) आश्रयहीनों को आरक्षित भूखंड संपत्ति क्रमांक 135,भूखंड का क्षेत्रफल 4540 वर्गमीटर।	Rs. 2.77 प्रति भवन। Rs. 2.92 प्रति भवन। Rs. 2.98/- Rs. 1.83 प्रति भवन Rs. 2.23 प्रति भवन। Rs. 12.50 Rs. 62.00	Rs. 27,700/- Rs. 29,200/- Rs. 29,800/- Rs. 18,300/- Rs. 22,300/- Rs. 1,25,000/- Rs. 6,20,000/-

संपत्ति स्थल : ग्राम हामूखेडी पटवारी हल्का नं. 41, केन्द्रीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिती मर्या. तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.) में भवन स्थित हैं।

(1) उपरोक्त संपत्ति उनके समुख दर्शाए प्रारक्षित मूल्य से कम मूल्य पर नहीं बेची जाएगी। इच्छुक बोली लगाने वालों की अग्रिम जमा राशि वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर के नाम जारी जबलपुर पर देय पे आर्डर/ डिमाण्ड ड्राफ्ट्स द्वारा जमा करनी होगी जिस बोलीकर्ता की बोली को स्वीकार किया जायेगा उनके प्रकरण में अग्रिम जमा की राशि संपत्ति के कुल मूल्य हेतु देय राशि के प्रति समायोजित कर दी जाएगी शेष व्यक्तियों को यह राशि विक्रय की दिनांक को वापस कर दी जाएगी।(2) जिस बोलीकर्ता की बोली स्वीकार की जाएगी उसे बोली स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद संपत्ति के कुल विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर के नाम जारी पे आर्डर/ डिमाण्ड ड्राफ्ट्स के द्वारा जमा करनी होगी, ऐसा न कर पाने की दशा में उनके द्वारा जमा की गई अग्रिम जमा राशि जप्त कर ली जाएगी।(3) क्रेता को विक्रय मूल्य की शेष 75 प्रतिशत राशि पाउण्डेज शुल्क 2 प्रतिशत की दर से रु. 1000/- तक तथा 1 प्रतिशत की दर से रु. 1000/- से ज्यादा के साथ विक्रय के 15 दिनों के अंदर जमा करना होगी।(4)सभी संपत्ति " जहाँ है जैसी है " तथा आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय श्रेड्यूल में वर्णित दशाओं व उनके अधीन निर्मित नियमों के अनुसार विक्रय की जायेगी। जो सर्वोच्च बोली लगाई जाएगी उसी आधार पर वसूली अधिकारी,ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर अपना निर्णय/ अनुमोदन प्रदान करेंगे। विक्रय संबंधी अन्य अधिकृत जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता/संबंधित बैंक आवास तथा नगर विकास निगम लि. से प्राप्त की जा सकती है।

एस.के. पाण्डे,